सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005

की धारा 4 (1) (ब)

के

तहत

अनुक्रमणिका

अध्याय क्रमांक	विषय वस्तु
1.	2.
1.	प्रस्तावना
2.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य
3.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्त्तव्य
4.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं
5.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदण्ड
6.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका
7.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के ऐसे दस्तावेज के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण
8.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं
9.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरुप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायो की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण
10.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
11.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथाउपबंधित हो
12.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
13.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं
14.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां
15.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के किसी इलेक्ट्रानिक रुप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों
16	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं
17.	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां
18	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए

1. प्रस्तावना –

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिये राज्य खाद्य आयोग के गठन करने का प्रावधान है । मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ–7–35–2013–उन्तीस–1, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 द्वारा मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 40 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 7–12/2016/उन्तीस–1, दिनांक 17 मई 2017 द्वारा "मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017" जारी किया है। इस नियम के खण्ड 2 (च) में "मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग" को परिभाषित किया गया है। आयोग द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2017 से भोपाल में कार्य प्रारम्भ किया है ।

2. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य –

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 में दिये गये कृत्य एवं कर्त्तव्य अनुसार।

(ii) राज्य खाद्य आयोग को प्रदेश में संचालित चार मुख्य योजनाओं यथा– 1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2.पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, 3.मध्यान्ह भोजन एवं 4.मातृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के मूल्यांकन एवं समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। आयोग इन योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों और स्व–प्रेरणा से शिकायतों की जांच करने का प्रावधान है। इन योजनाओं को और बेहतरीन ढंग से संचालन के लिये राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों को सलाह देना भी आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। योजनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या हितग्राही जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होता है तो वह आयोग को अपील कर सकता है।

(iii) **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3, 4, 5, 6 के अतर्गत हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा के लिये निम्नानुसार अधिकार दिये गये हैं:–**

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार,

- गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों तथा कुपोषित बच्चों को पोषाहार सहायता
- 14 वर्ष से कम उम्र के विद्यालय जाने वाले बालकों को पोषणीय सहायता–मध्यान्ह भोजन,
- **गर्भवती स्त्री को मातृत्व कल्याण योजना** (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विहित प्रसूति लाभ के रुप में रुपये 6000/– दिये जाने का प्रावधान।

कार्यप्रणाली :–

(iv) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 (6) के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों को अपने हाथ में लेगा, अर्थात् :–

(क) राज्य के सबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना,

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबन्धित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्व–प्रेंरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना,

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार को सलाह देना,

(घ) व्यष्टियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिये समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देना,

(ड.) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना,

(च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखी जायेंगी।

3. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य –

1. राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 20)की धारा 16 की उपधारा (1) एवं (2) सह पठित मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के अध्याय 5 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव एवं प्रशासकीय अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया है । अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि (में से जो पहले पूर्ण हो) के लिये नियुक्त किया गया है :–

2.

क	पदाधिकारी का नाम एवं पता	पदनाम	शासन द्वारा जारी नियुक्ति आदेश क्र. एवं दिनांक	पदग्रहण दिनांक
1 2.	प्रो. वीरेन्द्र कुमार मल्होत्रा रव	अध्यक्ष	एफ –7–35–2013–29–1, दिनांक 17.11.2022	21.12.2022 से निरंतर
2. T	रिक्त	सदस्य		
3.	रिक्त	सदस्य		
T 4.	रिक्त	सदस्य		
द्य 5.	रिक्त	सदस्य		
6.	रिक्त	सदस्य		
7. अ	श्री शोभित जैन, आईएएस	सदस्य सचिव	ई–1/166/2022/5/1, दिनांक 7 सितंबर, 2022	16.09.2022 से निरंतर
T 8. य	श्री विनोद चौहान	प्रशा.अधिकारी	2145/952820/2022/29–2, दिनांक 14.11.2022	16.11.2022 से निरंतर

खाद्य आयोग की वित्तीय शक्तियाॅ (म.प्र.खाद्य सुरक्षा नियम 2017 की कं. 18) :–

(1) अधिनियम के कियान्वयन के प्रयोजन हेतु खाद्य आयोग उसे प्राप्त कोष के व्यय के लिये जिम्मेदार होगा।

(2) खाद्य आयोग के वित्तीय संव्यवहार से संबंधित समस्त शक्तियाॅ, उन प्रकरणों को छोड़कर जिनमें राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, अध्यक्ष में निहित होंगी।

(3) वेतनमान के पुनरीक्षण संबंधी विषय, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में कोष का पुनर्विनियोजन, देश से बाहर प्रशिक्षण अथवा सेमिनार, कान्फ्रेन्स में खाद्य आयोग के किसी अधिकारी को भाग लेने की अनुमति देने तथा अन्य ऐसे विषय जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए जाएं, अध्यक्ष उनमें राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा।

(4) खाद्य आयोग की समस्त वित्तीय शक्तियाॅ राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, नियम एवं सर्कुलर, आदेश एवं निर्देशों से शासित होंगी।

3 राज्य शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश कमांक एफ 3–28/2017/29–2 दिनांक 30 सितंबर, 2017 द्वारा म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

4 राज्य शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश कमांक एफ 3–29/2017/29–2 दिनांक 11 सितंबर 2017 द्वारा म.प्र. राज्य

खाद्य आयोग के प्रशासकीय अधिकारी को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है।

4. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं–

मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का कार्य प्रदेश में संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं मातृत्व कल्याण योजना की सतत समीक्षा एवं मूल्यांकन करने का है। इन कार्यक्रमों से संबंधी शिकायतों का निराकरण करना एवं जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित हितग्राही की अपील सुनना एवं उसका निराकरण करना भी आयोग के प्रमुख कर्तव्यों में शामिल हैं। योजना के सफल संचालन में राज्य शासन के अलावा जन प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पात्र हितग्राही की पहचान तथा उन्हें अधिनियम द्वारा दिए गए कानूनी हक दिलाने के लिए उपरोक्त सभी स्टेक होल्डर्स का सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। गांव में एवं शहरी बस्तियों में सेवा प्रदाय करने वाले शासकीय अधिकारी की समझ एवं उनकी तत्परता पर भी कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। योजना के मूल्यांकन के समय हितग्राहियों की संतुष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

5. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदण्ड–

कृत्यों के कियान्वयन के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 में मापदण्ड निर्धारित हैं, उन्हीं सीमाओं के भीतर खाद्य आयोग अपने कृत्य संपादित कर रहा है।

6. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका–

(i) <u>राज्य खाद्य आयोग में स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी</u>

क	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिमार्क
1.	अध्यक्ष	1	1	शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी।
2	सदस्य सचिव	1	1	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से पदस्थ सचिव स्तर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।
3	सदस्य	5	0	
4.	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	म.प्र.शासन, खाद्य विभाग के द्वारा अंतरिम रुप से कार्य संपादन हेतु उप संचालक स्तर के अधिकारी।
5	निज सचिव	6	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि. कर्मचारी ।
6.	निज सहायक	6	0	

7	स्टेनोग्राफर	4	0	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि. कर्मचारी ।
8	लेखापाल	1	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि. कर्मचारी ।
9	असिस्टेन्ट	2	0	–
10	स्टेनोटायपिस्ट	1	0	–
11	रीडर	2	0	–
12	रिकार्ड कीपर	1	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी
13	सहायक ग्रेड	10	2	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी
14	वाहन चालक	5	0	
15	भृत्य	15	6	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 – https://www.mpsfc.mp.gov.in

(iii) मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 – यह नियम आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है https://www.mpsfc.mp.gov.in

(iv) मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 – https://www.mpsfc.mp.gov.in

(v) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966– https://www.mpsfc.mp.gov.in

7. **म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के ऐसे दस्तावेज के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण –**

समस्त कानून/नियम – मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित किये गये है। https://www.mpsfc.mp.gov.in

8. **म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं–**

संभाग तथा जिलों में संबंधित अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें तथा जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त करना तथा जन शिकायत/समस्या निवारण कैम्प करना।

राज्य खाद्य आयोग ने निश्चय किया कि योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु संभाग स्तर पर बैठकें एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण के पीछे आयोग के निम्न उद्देश्य थे:–

(अ) अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देना एवं उन्हें इसके प्रति संवेदनशील बनाना।

(ब) कार्यक्रमों के संचालन के संबंध में जन प्रतिनिधियों का अब तक का अनुभव साझा करना तथा सुझाव प्राप्त करना,
(स) जिला प्रशासन के अधिकारी तथा निकायों के प्रतिनिधि, जिन्हें पात्र हितग्राही को चिन्हित करने, लाभ दिलाने, शिकायत का निराकरण करने एवं योजनाओं की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया हैं, के द्वारा कितनी सक्रियता से कार्य सम्पादन किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना,
(द) धरातल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राशन विक्रेता एवं महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा दी जा रही सेवा की गुणवत्ता का आंकलन करना, तथा
(न) आमजन एवं हितग्राहियों की संतुष्टि, जोकि योजनाओं की सफलता को नापने की सही कसौटी हैं, की स्थिति ज्ञात करना ।

तद्नुसार आयोग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक संभाग में दो दिवसीय भ्रमण कार्यकम का निर्धारण किया गया। भ्रमण के पहले दिन संभागीय मुख्यालय के जिले के माननीय सांसद, माननीय विधायक या उनके प्रतिनिधि, जिलों के जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी जिला मुख्यालय के नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष, जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल जनपद पंचायत के एक–एक अध्यक्ष, स्थानीय पार्षद, स्वेच्छा सेवी संगठन के प्रतिनिधि एवं आम नागरिकों के साथ उनकी शिकायत एवं सुझाव प्राप्त करने के लिये बैठकें आयोजित की गई। दोपहर 3.00 बजे के पश्चात संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर्स, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं तीनों विभागों के जिला अधिकारियों तथा सहयोगी निगम मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भ्रमण के दूसरे दिन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को लेकर गठित तीन से चार निरीक्षण दल द्वारा क्षेत्र के हितग्राहियों के साथ चर्चा की गई एवं संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आयोग के द्वारा दिये गये सुझाव, विभागों के प्रमुख सचिव एवं जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये।

9. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरुप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायो की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण–

मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 के नियम 23 के तहत गठित सतर्कता समितियों का विवरण –

1. मध्य प्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–21/2017/29–1, दिनांक 15 फरवरी 2018 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत **उचित मूल्य दुकान (ग्रामीण) स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन** एवं कार्यप्रणाली के निर्देश जारी किये गये हैं जो आयोग की वेबसाईट में उपलब्ध है। https://www.mpsfc.mp.gov.in

2. मध्य प्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–21/2017/29–1, दिनांक 07 जून, 2018 द्वारा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत **उचित मूल्य दुकान (नगरीय) स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन** एवं कार्यप्रणाली के निर्देश जारी किये गये हैं जो आयोग की वेबसाईट में उपलब्ध है। https://www.mpsfc.mp.gov.in

10. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका–

नाम	कार्यालय दूरभाष क.	निवास दूरभाष क.	निवास स्थान का पता	कार्यालय का पता
प्रो. वीरेन्द्र कुमार मल्होत्रा	255676	9899076020	भोपाल	बी विंग, अपर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल
श्री शोभित जैन, भा. प्र.से. सदस्य सचिव	2556766	9425799199 0755–2995446	सी 2/24, चार इमली, भोपाल	बी विंग, अपर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल
श्री विनोद चौहान प्रशासकीय अधिकारी	2556761	9516979457	म.न. ई–106 चिनार दिट्रेट, अरेरा हिल्स, भोपाल	बी विंग, अपर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल

11. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथा उपबंधित हो –

अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन एवं भत्ते :–

(1) (किसी भी सरकार/सार्वजनिक उपकम के किसी सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी की दशा में :–

(क) सेवारत शासकीय सेवक के अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त होने की दशा में उसे देय वेतन एवं भत्ते वही होंगें जो उसे प्रतिनियुक्ति पर देय होंगें।

(ख) यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत दी गयी अपनी पूर्ववर्ती सेवाओं के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद हेतु देय वेतन में से वह राशि घटाई जाएगी, जो पेंशन के किसी भाग की कटौती सहित उसे पेंशन के रुप में प्राप्त हो रही है।

(2) किसी भी सरकार/सार्वजनिक उपकम के किसी सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी से भिन्न होने की दशा में :–

सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त होने की दशा में उनको प्रति माह दिये जाने वाले

मानदेय, सत्कार भत्ता, दैनिक भत्ता एवं आवास भत्ता निम्नानुसार देय होगा, जो समय–समय पर पुनरीक्षित किए जा सकेंगें:–

क	पद का नाम	मानदेय एवं सत्कार भत्ता	दैनिक भत्ता (प्रतिदिन 375 रुपये के मान से)	आवास भत्ता
1	अध्यक्ष	13000	11250	10400
2	सदस्य	10000	11250	10400

12. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट –

.वर्ष 2022–23 में प्राप्त बजट – आवंटन एवं 30.11.2022 तक व्यय की जानकारी

खाद्य आयोग को प्राप्त बजट स्थिति पत्रक योजना क. 1921–खाद्य आयोग का गठन वित्तीय वर्ष 22–23 (बी.सी.ओ. कोड 2904)

मांग संख्या 39– मेजर हेड–2408, सबमेजर हेड–01, माइनर हेड–001, स्कीम (योजना) 1921, सिगमेंट 0101, चार्ज वोटेड, आब्जेक्ट कोड–11,12,16,21,22,31,33,35 एवं योजना क. 9545–विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण.

(39–2408–01–001–0101–1921–000)

फार्म 7 बी माह नवंबर 2022

39–2408–खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार (1921–म.प्र. राज्य खाद्य आयोग का गठन

बजद मद एवं योजना का नाम				पिछले माह तक कोषालय द्वारा किया गया व्यय	वर्तमान माह कोषालय द्वारा किया गया व्यय	कुल योग
क.	11 वेतन भत्ते		आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7
1	001	वेतन	10,00,000	69,000	–	69000
2	003	मंहगाई भत्ता	320000	21390	0	21390
3	004	वाहन भत्ता	10000	0	0	0
4	006	मकान किराया भत्ता	150000	2295	0	2295
5	007	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	0	0	0	0
6	008	अन्य भत्ते	2000	0	0	0
7	009	चिकित्सा व्यय	50000	0	0	0
8	010	अवकाश यात्रा सुविधा	0	0	0	0
9	011	त्योहार अग्रिम	0	0	0	0
10	016	अनाज अग्रिम	0	0	0	0
11	018	चिकित्सा अग्रिम	50000	0	0	0

12	025	संविदा वेतन	350000	0	0	0
13	योग	उददेश्य 11	**5082000**	**92685**	**0**	**92685**
14		**12– मजदूरी**	**1000**	**0**	**0**	**0**
		16 वेतन भत्ते				**0**
	001	वेतन	2545000	1075000	461240	1536240
	003	मंहगाई भत्ता	891000	548222	156822	705044
	006	मकान किराया भत्ता	130000	0	0	0
	009	चिकित्सा व्यय	60000	9058	0	9058
	010	अवकाश यात्रा सुविधा	2000000	0	0	0
		योग उददेश्य –16	**3826000**	**1632280**	**618062**	**2250342**
		21 यात्रा भत्ता				0
16	001	यात्रा भत्ता	100000	75929	0	75929
17	002	स्थानांतरण यात्रा हेतु	50000	0	0	0
		योग उददेश्य –21	150000	75929	0	75929
18		**22 कार्यालय व्यय**				0
19	001	डाक एवं तार व्यय	10000	0	0	0
20	002	दूरभाष व्यय	100000	17542	4506	22048
21	003	फर्नीचर एवं उपकरण	5000000	1877301	0	1877301
22	004	पुस्तकें एवं नियतकालीन पत्रिकाएं	20000	4715	467	5182
23	005	बिजली एवं जल प्रभार	1400000	168160	0	168160
24	006	वर्दियां	7000	0	0	0
25	007	लेखन सामग्री एवं फार्म	250000	13667	0	13667
26	008	अन्य आकस्मिक व्यय	160000	28799	0	28799
27	009	पेट्रोल, तेल आदि	100000	0	0	0
28	010	आतिथ्य व्यय	100000	9962	0	9962
	012	मुद्रण एवं प्रकाशन	300000	84475		84475
29	013	कार्यालय उपकरणों का कय	100000	9000	0	9000
30		**योग उददेश्य –22**	7547000	2204621	4973	2209594
32		31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगी				0
33	002	परामर्श सेवाएं	15000	0	0	0
34	003	अभिभाषकों की फीस	15000	0	0	0
35	004	विशेष सेवाओं के लिये मानदेय	2500000	1133680	165926	1299606

36	006	सफाई व्यवस्थ्था	100000	12000	0	12000
37	007	परिवहन व्यवस्था	1000000	254737	42519	297256
38	010	अन्य	400000	115000	0	115000
39		योग उददेश्य –33	4030000	1515417	208445	1723862
		33–02 –मशीने और संयंत्र	100000	10187	0	10187
		35 विज्ञापन प्रचार प्रसार	100000	0	0	0
40		योग योजना –1921	20837000	5531119	831480	6362599

39–2408– खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार (9545–विभागीय परिसम्पत्तियों का संधारण)

बजद मद एवं योजना का नाम				पिछले माह तक	वर्तमान माह	कुल योग
क्र.	9545–विभागीय परिसम्पत्तियों का संधारण		आवंटन	कोषालय द्वारा किया गया व्यय	कोषालय द्वारा किया गया व्यय	
	2	3	4	5	6	7
1	0101 सामान्य	33 अनुरक्षण कार्य 001 स्थाई संपत्ति का अनुरक्षण	610000	0	0	0
2	0102 अनुसूचित जनजाति योजना	33 अनुरक्षण कार्य 001 स्थाई सम्पत्ति का अनुरक्षण	230000	0	0	0
3	0103अनुसूचित जाति उप योजना	33 अनुरक्षण कार्य 001 स्थाई सम्पत्ति का अनुरक्षण	160000	0	0	0
	योग	योजना – 9545	1000000	0	0	0

13. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं –

लागू नहीं.

14. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां–

लागू नहीं.

15. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के किसी इलेक्ट्रानिक रुप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों –

मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित हैं। https://www.mpsfc.mp.gov.in

16. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं –

लागू नहीं.

17 म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां–

आयोग के आदेश क्रमांक 513/खाद्य आयोग/2018 दिनांक 12.06.2018 से प्रशासकीय अधिकारी को राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा सदस्य सचिव (भा.प्र.से.) को प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

18. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए –

समय–समय पर बेवसाईट में अद्यतन कर । https://www.mpsfc.mp.gov.in

———

1. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथा उपबंधित हो –

माननीय अध्यक्ष को देय सुविधाएं –

माननीय सदस्यों को देय सुविधाएं –

शासन के आदेश कमांक एफ–7–20–2017–29–1, दिनांक 18 सितंबर, 2017, आदेश कमांक 76/01/2018/29–2 दिनांक 08 जनवरी 2018, पत्र कमांक एफ 11–15/2010/नियम/चार दिनांक 10 अगस्त 2011, पत्र क्रमांक एफ 4–2/2016/नियम/चार दिनांक 05 नवम्बर 2016 में दी गई सुविधाओं की अद्यतन स्थिति संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

क.	सुविधा का नाम	मा. सदस्यों को देय सुविधाएँ	मा. सदस्य (श्रीमती दुर्गा डावर) को देय सुविधाएँ
1.	मानदेय एवं सत्कार भत्ता	राशि रु. 10,000 प्रति माह ।	सेवा निवृत्ति के समय देय वेतन में से वह राशि घटाई जाएगी जो पेंशन के किसी भाग की कटौती सहित पेंशन के रुप में प्राप्त हो रही है। इस मानदेय पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा।
2.	यात्रा/दैनिक भत्ता	राज्य शासन के 'ए' श्रेणी के अधिकारियों को देय अनुसार।	
3.	आवास भत्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के न्यूनतम वेतन के आधार पर मुख्यालय के शहर में भारत सरकार के वर्गीकरण के अनुसार देय गृह भाड़ा भत्ता ।	
4.	वाहन भत्ता	100 लीटर पेट्रोल अथवा पेट्रोल की कीमत के बराबर राशि प्रति माह।	
5	यात्रा की श्रेणी	रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी।	
6	मुख्यालय से बाहर प्रवास के दौरान आवास सुविधा	शासकीय विश्रामगृह या अन्य शासकीय स्थानों पर आवास रिक्त न होने पर (प्रमाण पत्र आवश्यक होगा) ही प्रदेश के महानगरों/नगरों में मध्यप्रदेश टूरिज्म कार्पोरेशन के AC कक्ष के अनुरुप राशि की पात्रता होगी। –टूरिज्म कार्पो. के मोटल/होटल में ठहरने की सुविधा न होने पर किसी अन्य होटल में उक्त पात्रता अनुरुप राशि की सीमा में ठहरने की पात्रता होगी.	
7	चिकित्सा सुविधा	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को देय सुविधा के अनुरुप।	
8	दूरभाष व्यय	निवास पर 01 दूरभाष, मोबाईल, इंटरनेट पर व्यय (अधिकतम रु. 2500 प्रतिमाह किराया छोड़कर) ।	

1 .ट्रेन द्वारा यात्रा करने पर रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने की पात्रता होगी ।
2. स्वयं के वाहन से दौरा करने पर रु. 6 प्रति किलोमीटर की दर से अधिकतम सीमा रुपये 12500 प्रति माह तक माइलेज भत्ता देय होगा।
3. यात्रा अवधि का दैनिक भत्ता भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर शहर के लिये 375 रु. प्रतिदिन एवं अन्य जिलों के लिये 250 रु. प्रतिदिन की पात्रता (म.प्र. यात्रा नियम) अनुसार देय होगी।

4. बैठक भत्ता – आयोग मुख्यालय में आयोजित प्रत्येक बैठक के लिए रु. 375 प्रति दैनिक भत्ते की राशि देय होगी। भोपाल के अतिरिक्त अन्य जिलों में भ्रमण करने पर उक्त पैरा 2.3 अनुसार राशि देय होगी। भोजन इत्यादि पर होने वाला व्यय दैनिक भत्ते में ही शामिल है।

5. मुख्यालय में स्वयं के वाहन से आयोग कार्यालय आने के लिये अधिकतम 100 लीटर पेट्रोल अथवा पेट्रोल की कीमत के बराबर राशि प्रति माह वाहन भत्ते के रुप में देयक प्रस्तुत करने पर निर्धारित सीमा के अंदर देय होगी।

6. मुख्यालय में लिये गये आवास में लगे एक टेलीफोन बिल एवं मोबाइल बिल की अधिकतम राशि 2500 रु. प्रति माह के संबंध में टेलीफोन/रीचार्ज बिल प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत बिल अनुसार राशि देय होगी।

7. भ्रमण के दौरान शासकीय सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस में पात्रता एवं उपलब्धतानुसार यथासंभव कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा ।

8. शासकीय सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस में स्थान उपलब्ध न होने पर मध्य प्रदेश टूरिज्म कार्पोरेशन के ए.सी कक्ष की पात्रता है। म.प्र. पर्यटन विकास निगम के होटल में कक्ष उपलब्ध नहीं होने पर अथवा होटल स्थित नहीं होने पर स्थानीय होटल में ठहरने पर प्रदेश के 3 बड़े नगरों क्रमशः इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर के होटल में ठहरने पर अधिकतम 3750/– रु. (तीन हजार सात सौ पचास रुपये) एवं प्रदेश के अन्य स्थानों की होटल में ठहरने पर रु. 2500/– (रु. दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिदिन के मान से निर्धारित सीमा के भीतर राशि भुगतान की पात्रता होगी । भ्रमण पश्चात यात्रा देयक के भुगतान हेतु मय होटल, टेक्सी बिल/रसीद एवं यात्रा टिकट के साथ यात्रा देयक बिल आयोग कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ताकि यात्रा देयक अनुसार नियमानुसार बिल की राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जा सके । सर्किट हाउस/शासकीय व्यवस्था उपलब्ध न होने के संबंध में स्वयं का प्रमाण पत्र (अण्डर टेकिंग) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सदस्य सचिव –

प्रशासकीय अधिकारी –

कार्यालयीन कर्मचारी –

2. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट –

.वर्ष 2018–19 में प्राप्त बजट – आवंटन एवं 30.06.2018 तक व्यय की जानकारी

खाद्य आयोग को प्राप्त बजट स्थिति पत्रक वित्तीय वर्ष 18–19(बी.सी.ओ. कोड 2902)
मांग संख्या 39– मेजर हेड–2408, सबमेजर हेड–01, माइनर हेड–001, स्कीम (योजना) 1921, सिगमेंट 0101, चार्ज वोटेड, आब्जेक्ट कोड–11,12,21,22,31,63.
(39–2408–01–001–0101–1921–000)

बजट मद	नाम उपमद	आवंटन राशि रू. में	बी.सी.ओ. आवंटन राशिरू.	डी.डी.ओ. आवंटन राशि रू	डी.डी.ओ.द्वारा 30.06.18 तक व्य
11–वेतन भत्ते	001–वेतन	7000000	7000000	7000000	0
11–वेतन भत्ते	003–मंहगाई भत्ता	700000	700000	700000	0
11–वेतन भत्ते	004–वाहन भत्ता	20000	20000	20000	0
11–वेतन भत्ते	006–मकान किराया	150000	150000	150000	0
11–वेतन भत्ते	008– अन्य भत्ता	260000	260000	260000	0
11–वेतन भत्ते	009–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	110000	110000	110000	47666
11–वेतन भत्ते	028–ग्रेड पे	1000	1000	1000	0
12– मजदूरी	000–मजदूरी भुगतान	25000	25000	25000	0
21–यात्रा व्यय	001–यात्रा भत्ता	120000	120000	120000	2395
22–कार्यालय व्यय	001–डॉकतार व्यय	120000	120000	120000	0
22–कार्यालय व्यय	002–दूरभाष	175000	175000	175000	23431
22–कार्यालय व्यय	003–फर्नीचर उपकरण क्रय	3597300	3597300	3597300	0
22–कार्यालय व्यय	004–पुस्तक क्रय	25000	25000	25000	0
22–कार्यालय व्यय	005–जल विद्युत प्रभार	250000	250000	250000	
22–कार्यालय व्यय	006–वर्दियॉ	7000	7000	7000	0
22–कार्यालय व्यय	007–स्टेश्नरी व्यय	250000	250000	250000	27441
22–कार्यालय व्यय	008–अन्य आकस्मिक व्यय	250000	250000	250000	984
22–कार्यालय व्यय	009–प्रेट्रेल तेल	250000	250000	250000	0
22–कार्यालय व्यय	010–अन्य व्यय	250000	250000	250000	3382
22–कार्यालय व्यय	013–कार्यालय उपकरण का क्रय	400000	400000	400000	0
31–व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी	002–परामर्श सेवायें	25000	25000	25000	0
31–व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी	003–अविभाषकों की फीस	25000	25000	25000	0
31–व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी	004– विशेष सेवा के लिए मानदेय	4640000	4640000	4640000	959282
31–व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी	006–सफाई कारने पर व्यय	125000	125000	125000	3000
31–व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी	007–परिवहन व्यवस्था	900000	900000	900000	133546
31–व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी	010–अन्य व्यय	225000	225000	225000	0
53–मशीनरी उपकरण	001–मशीनरी का क्रय	100000	100000	100000	0
	योग	20000000	20000000	20000000	1201127

11–वेतन भत्ते मद में से रु. 27,55,000/– पुनर्विनियोजन मद 16– वेतन भत्ते मद में रु. 2555000 तथा 21 यात्रा भत्ता के विस्तृत शीर्ष 002 में रु 200000 का पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। के अंतर्गत किया है ।

माननीय अध्यक्ष को देय सुविधाएं –

मानदेय रु. 1,12,500/– प्रति माह, आवास भत्ता रु. 35000 प्रति माह, दूरभाष सुविधा रु. 2500/– तक प्रति माह अधिकतम, वाहन सुविधा – किराये का वाहन उपलब्ध कराया गया है जिसका औसतन किराया रु. 45000/– प्रति माह, यात्रा एवं चिकित्सा सुविधा– शासन नियमानुसार देय है।

माननीय सदस्यों को देय सुविधाएं –

अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन एवं भत्ते :–

(1)किसी भी सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के किसी सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी की दशा में :–

(क) सेवारत शासकीय सेवक के अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त होने की दशा में उसे देय वेतन एवं भत्ते वही होंगें जो उसे प्रतिनियुक्ति पर देय होंगें।

(ख) यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत दी गयी अपनी पूर्ववर्ती सेवाओं के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद हेतु देय वेतन में से वह राशि घटाई जाएगी, जो पेंशन के किसी भाग की कटौती सहित उसे पेंशन के रुप में प्राप्त हो रही है।

(2) किसी भी सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के किसी सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी से भिन्न होने की दशा में :–

सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त होने की दशा में उनको प्रति माह दिये जाने वाले मानदेय, सत्कार भत्ता, दैनिक भत्ता एवं आवास भत्ता निम्नानुसार देय होगा, जो समय–समय पर पुनरीक्षित किए जा सकेंगें:–

क	पद का नाम	मानदेय एवं सत्कार भत्ता	दैनिक भत्ता (प्रतिदिन 375 रुपये के मान से)	आवास भत्ता
1	अध्यक्ष	13000	11250	10400
2	सदस्य	10000	11250	10400

❖ 1. **मध्य प्रदेश** शासन, खाद्य विभाग के आदेश कमांक एफ 7–20–2017–उन्तीस–1, दिनांक 18 सितंबर, 2017 द्वारा **श्री आर.के. स्वाई, (सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, भा.प्र.से.)** को मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य शासन एतद्द्वारा अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग की सेवा शर्ते एवं अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है :–

क.	सुविधा का नाम	देय सुविधायें
1	मानदेय	सेवानिवृत्ति के समय देय वेतनमान में से वह राशि घटाई जाएगी जो पेंशन के किसी भाग की कटौती सहित पेंशन के रुप में प्राप्त हो रही है। इस मानदेय पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा।
2	आवास भत्ता	भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को देय राशि अनुसार।
3	दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता, ठहरने की पात्रता एवं प्रवास पर आवास सुविधा	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु देय सुविधानुसार।
4	वाहन	एक वाहन, मासिक पेट्रोल सीमा 120 लीटर प्रति माह।
5	चिकित्सा सुविधा	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु निर्धारित अनुसार।
6	दूरभाष व्यय	निवास पर 01 दूरभाष, मोबाईल, इंटरनेट पर व्यय (अधिकतम रु. 2500 प्रतिमाह किराया छोड़कर)

मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का मुख्यालय भोपाल रहेगा। उक्त सेवा–शर्ते अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होंगी।

❖ 2. **मध्य प्रदेश** शासन, खाद्य विभाग के आदेश कमांक एफ 7–20–2017–उन्तीस–1, दिनांक 18 सितंबर, 2017 द्वारा **श्रीमती दुर्गा डावर, (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश)** को मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य शासन एतद्द्वारा सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग की सेवा शर्ते एवं अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:–

क.	सुविधा का नाम	देय सुविधायें
1	मानदेय	सेवानिवृत्ति के समय देय वेतनमान में से वह राशि घटाई जाएगी जो पेंशन के किसी भाग की कटौती सहित पेंशन के रुप में प्राप्त हो रही है। इस मानदेय पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा।
2	आवास भत्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव स्तर के न्यूनतम वेतन के आधार पर मुख्यालय के शहर में भारत सरकार के वर्गीकरण के अनुसार देय गृह भाड़ा

		भत्ता।
3	वाहन भत्ता	100 लीटर पेट्रोल अथवा पेट्रोल की कीमत के बराबर राशि प्रति माह।
4	यात्रा की श्रेणी	रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी
5	यात्रा/दैनिक भत्ता	राज्य शासन के "ए" श्रेणी के अधिकारियों को देय अनुसार।
6	मुख्यालय से बाहर प्रवास के दौरान आवास सुविधा	शासकीय विश्रामगृह या अन्य शासकीय स्थानों पर आवास रिक्त न होने पर ही प्रदेश के महानगरों/ नगरों में मध्यप्रदेश टूरिज्म कार्पोरेशन के एसी कक्ष के अनुरुप राशि।
7	चिकित्सा सुविधा	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को देय सुविध के अनुरुप।
8	दूरभाष व्यय	निवास पर 01 दूरभाष, मोबाईल, इंटरनेट पर व्यय (अधिकतम रु. 2500 प्रतिमाह किराया छोड़कर)

मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य का मुख्यालय भोपाल ही रहेगा। मुख्यालय से बाहर की यात्रा आयोग के अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात् ही की जाएगी। उक्त सेवा–शर्ते सदस्य के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होंगी।

❖ 3 **मध्य प्रदेश** शासन, खाद्य विभाग के आदेश कमांक एफ 7–20–2017–उन्तीस–1, दिनांक 18 सितंबर, 2017 द्वारा **श्री किशोर खण्डेलवार, श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय, श्री वीर सिंह चौहान एवं श्री गोरेलाल अहिरवार** को मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के उक्त सदस्यों की सेवा शर्ते एवं अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है :–

क.	सुविधा का नाम	देय सुविधायें
1	मानदेय एवं सत्कार भत्ता	राशि रुपये 10,000 प्रति माह।
2	यात्रा/दैनिक भत्ता	राज्य शासन के "ए" श्रेणी के अधिकारियों को देय अनुसार।
3	आवास भत्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव स्तर के न्यूनतम वेतन के आधार पर मुख्यालय के शहर में भारत सरकार के वर्गीकरण के अनुसार देय गृह भाड़ा भत्ता।
4	वाहन भत्ता	100 लीटर पेट्रोल अथवा पेट्रोल की कीमत के बराबर राशि प्रति माह।
5	यात्रा की श्रेणी	रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी

6	मुख्यालय से बाहर प्रवास के दौरान आवास सुविधा	शासकीय विश्रामगृह या अन्य शासकीय स्थानों पर आवास रिक्त न होने पर ही प्रदेश के महानगरों/ नगरों में मध्यप्रदेश टूरिज्म कार्पोरेशन के एसी कक्ष के अनुरुप राशि।
7	चिकित्सा सुविधा	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को देय सुविध के अनुरुप।
8	दूरभाष व्यय	निवास पर 01 दूरभाष, मोबाईल, इंटरनेट पर व्यय (अधिकतम रु. 2500 प्रतिमाह किराया छोड़कर)

❖ मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य का मुख्यालय भोपाल ही रहेगा। मुख्यालय से बाहर की यात्रा आयोग के अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात् ही की जाएगी। उक्त सेवा–शर्तें अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होंगी।

सदस्य सचिव – शासन नियमानुसार देय वेतन एवं भत्ते – मूल वेतन रु. 2,05,600, मंहगाई भत्ता रु. 18504, गृह भाड़ा भत्ता रु. 32896, कुल वेतन रु. 2,57,000 ।

प्रशासकीय अधिकारी – पदेन प्रशासकीय अधिकारी को वेतन एवं भत्तें एवं अन्य सुविधाएं संचालक, खाद्य द्वारा दी जा रही है।

कार्यालयीन कर्मचारी – आयोग में नियमित कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है। एम.पी.कॉन लि., भोपाल से आउटसोर्स से कर्मचारियों की सुविधा ली जा रही है।